## सूचना का अधिकार

## पावर ग्रिड कोपॉरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007 Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Harvana-122007



PGCIL/A/2019/M-43

दिनांक: 24 अक्टूबर, 2019

श्री कंचन कुमार

ग्राम – अशोक नगर, पोस्ट-नौलखी,भाया-मुरलीगंज, जिला-पूर्णियाँ पिन – 852122, **बिहार** 

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपकी अपील दिनांक 25 सितम्बर, 2019 (आर.टी.आई.अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्रेषित आपके आर.टी.आई.) के संदर्भ में जानकारी।

महोदय

This has reference to the order No. C/CP/AA/RTI Act, 2005 dated 23<sup>rd</sup> October, 2019 from the Appellate Authority on the subject matter. As directed by the Appellate Authority, the desired information is attached herewith **Annexure-I**.

धन्यवाद,

भवदीय,

(जसबीर सिंह)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी

Email id: <a href="mailto:cpio.cc@powergrid.co.in">cpio.cc@powergrid.co.in</a>

कृपया आर.टी.आई.अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा किये गये शिकायत को जांच के बाद, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से बंद कर दिया गया है।

इस संदर्भ में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपने पूर्व में कई बार सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इसी तरह के समरूप केस (CIC/SA/A/2015/001849) में केंद्रीय सूचना आयोग ने यह कहा है कि "there is no merit in the second appeal filed by the appellant; the appellant has sufficiently used the RTI act for his self-interest, without any public interest for his personal vengeance against the public authority for denying him promotion/enhanced pay. Therefore, the commission admonishes the appellant for this misuse of RTI act just for the sake of vengeance forcing them to devote all their valuable time, energy etc". अत: केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को देखते हुए आपके इस संदर्भ में सूचना के अधिकार के तहत भविष्य में की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

----X-----

24/10/2019